

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 465.सन 2020

अनवान :-

1. महावीर प्रसाद पुत्र हनुमान प्रसाद जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कालुराम पुत्र हनुमान प्रसाद जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. भजनलाल पुत्र मधाराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. लीलाधर पुत्र मधाराम जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. गौरादेवी पुत्री हनुमान प्रसाद जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. रोशनी देवी पुत्री हनुमान प्रसाद जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
7. सन्तोष देवी पुत्री हनुमान प्रसाद जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
8. राजुदेवी पुत्री हनुमान प्रसाद जाति खाती निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिष्ठत : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 01/10/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 633/527 की कुल 8.8050 हेक् एवं रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 698/595 की कुल 3.7950 हेक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हनुमान प्रसाद पुत्र रामदेव के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा हनुमान प्रसाद पुत्र रामदेव के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा हनुमान प्रसाद पुत्र रामदेव के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक-हिस्सा है।

हनुमान प्रसाद एवं रामी पत्नी हनुमान प्रसाद के जायज वारिसान उसके पुत्र /पुत्रीया वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 ता 8 है एवं मृतक पुत्र मधाराम के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 3, 4 है अर्थात महावरी प्रसाद एवं रामी की भूमि के जायज हकदार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है

प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 वादी की बहने है एवं हनुमानप्रसाद व रामी की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तया कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 अपने हक


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया कि वाद भूमि उनके पिता एवं माता महावीर प्रसाद एवं रामी के नाम से दर्ज है जिनके जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 9 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 633/527 की कुल 8.8050 हैक एवं रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 698/595 की कुल 3.7950 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हनुमान प्रसाद पुत्र रामदेव के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा हनुमान प्रसाद पुत्र रामदेव के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा हनुमान प्रसाद पुत्र रामदेव के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

हनुमान प्रसाद एवं रामी पत्नी हनुमान प्रसाद के जायज वारिसान उसके पुत्र /पुत्रीया वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5 ता 8 है एवं मृतक पुत्र मधाराम के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 3, 4 है अर्थात् महावीर प्रसाद एवं रामी की भूमि के जायज हकदार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है

प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 वादी की बहने है एवं हनुमान प्रसाद व रामी की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

उपरोक्त अधिकारी
बोहर

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 633/527 की कुल 8.8050 हैक् एवं रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 698/595 की कुल 3.7950 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता हनुमान प्रसाद/रामी के नाम से दर्ज है।


हनुमान प्रसाद एवं उसकी पत्नि रामी पत्नि हनुमान प्रसाद का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2, 5, 6 ता 8 एवं मृतक पुत्र मधाराम के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 3, 4 है अर्थात् हनुमान प्रसाद के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है जो हनुमान प्रसाद एवं रामी की भूमि अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है जो मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से साबित है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बिरकाली के खाता संख्या 633/527 की कुल 8.8050 हैक् वादी अकेला 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/4 व प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3, 4 बहिब 1/4 एवं रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 698/595 की कुल 3.7950 हैक् में वादी अकेला 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3, 4 बहिब 1/12 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/10/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्दा दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. महावीर प्रसाद पुत्र हनुमान प्रसाद जाति खाती निवासी विरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कालुराम पुत्र हनुमान प्रसाद जाति खाती निवासी विरकाली तहसील नोहर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद जाति खाती निवासी विरकाली तहसील नोहर।
3. भजनलाल पुत्र मधाराम जाति खाती निवासी विरकाली तहसील नोहर।
4. लीलाधर पुत्र मधाराम जाति खाती निवासी विरकाली तहसील नोहर।
5. गौरादेवी पुत्री हनुमान प्रसाद जाति खाती निवासी विरकाली तहसील नोहर।
6. रोशनी देवी पुत्री हनुमान प्रसाद जाति खाती निवासी विरकाली तहसील नोहर।
7. सन्तोष देवी पुत्री हनुमान प्रसाद जाति खाती निवासी विरकाली तहसील नोहर।
8. राजुदेवी पुत्री हनुमान प्रसाद जाति खाती निवासी विरकाली तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार- राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 465 सन 2020 निर्णय दिनांक- 01/10/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष

अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा विरकाली के खाता संख्या 633/527 की कुल 8.8050 हैक् वादी अकेला 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/4 व प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3, 4 बहिव 1/4 एवं रोही मौजा विरकाली बारानी के खाता संख्या 698/595 की कुल 3.7950 हैक् में वादी अकेला 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3, 4 बहिव 1/12 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी

की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)